प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 493/2007

कमलेश चौहान एवं एक अन्य

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

विचारार्थ निर्णय

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा:

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 07.11.2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 493/2007

अपीलार्थीगण : **1**. कमलेश चौहान, पिता क्लॉडियस चौहान, आयु लगभग 27 वर्ष, व्यवसाय बढ़ई, निवासी रामभाठा रायगढ़, थाना कोतवाली, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

2. रवि चौहान, पिता अमर सिंह चौहान, आयु लगभग 20 वर्ष, व्यवसाय कबाड़ी कार्य, निवासी रामभाठा रायगढ़, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ राज्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थित:

अपीलार्थीगण की ओर से श्री धीरेंद्र पांडेय, अधिवक्ता ।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री एन.के. मेहता, पैनल अधिवक्ता।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील।

निर्णय

(दिनांक 07.11.2012 को पारित)

न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा के अनुसार :

यह अपील चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 133/2006 में पारित दिनांक 24-05-2007 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण कमलेश चौहान एवं रवि चौहान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को 200/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में उन्हें एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का दंडादेश दिया गया है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है :

दिनांक 20-10-2006 को संजय सागर (अ.सा.-3) मृतक बुधराम बघेल तथा शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) के साथ मोटरसाइकिल से तमनार गया था। वे लगभग रात्रि 10:00 बजे रायगढ़ वापस लौट रहे थे। जब वे रामभाठा दुर्गा मंदिर के पास पहुंचे, तब अपीलार्थी साइकिल से आए और अपनी साइकिल को मोटरसाइकिल के सामने लगाकर उनकी मोटरसाइकिल को रोक दिया।अपीलार्थियों ने यह कहते हुए कि जब वे मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानते तो उसे क्यों चला रहे हैं, उन्हें गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) ने अपीलार्थियों को गाली देने से रोका। इस पर अपीलार्थी कमलेश चौहान ने कांच की बोतल से मृतक बुधराम बघेल के सिर पर प्रहार किया और अपीलार्थी रवि चौहान ने एक पत्थर उठाकर मृतक के सिर पर पत्थर से वार किया। इससे बुधराम बघेल नीचे गिर गया। इसके बाद संजय सागर (अ.सा.-3) मृतक के घर गया और घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक को किरोड़ीमल शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ ले गए। डॉ. अनिल तिर्की (अ.सा.-9) ने मृतक को चिकित्सालय में भर्ती किया और पुलिस को सूचना दी। संजय सागर (अ.सा.-3) ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जहां देहाती नालिशी (प्र.पी.-5) दर्ज की गई। उपचार के दौरान मृतक की मृत्यु किरोड़ीमल शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ में हो गई। इसके बाद थाना कोतवाली में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-3) दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी चिकित्सालय पहुंचे, पंचों को सूचना (प्र.पी.-1) दी और मृतक के शव का मृत्यु समीक्षा (प्र.पी.-2) तैयार किया। इसके बाद शव को परीक्षण हेतु प्र.पी.-18 के माध्यम से भेजा गया। डॉ. टी.के. टोंडर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(अ.सा.-10) ने शव का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्र.पी.-19) प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने निम्न चोटें पाईं-

(i) ठोड़ी के आधार पर 1 इंच लंबा, हड्डी तक गहरा फटा हुआ घाव, जिस पर टांके लगे हुए थे,

(ii) मंडिबुलर हड्डी (जबड़े की हड्डी) में अस्थिभंग, तथा

(iii) दाहिने गाल पर 2" × 2" की सूजन।

उन्होंने राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण सिर में चोट तथा मंडिबुलर अस्थिभंग के कारण उत्पन्न शॉक था।

आगे की विवेचना में अपीलार्थियों को अभिरक्षा में लिया गया और अपीलार्थी कमलेश चौहान का मेमोरेडम कथन (प्र.पी.-7) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसके आधार पर उसके निशानदेही पर कांच की बोतल प्र.पी.-10 के माध्यम से जब्त की गई। इसी प्रकार अपीलार्थी रवि चौहान का मेमोरेडम कथन (प्र.पी.-8) भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दर्ज किया गया और उसके बताने पर ईंट का टुकड़ा प्र.पी.-11 के माध्यम से जब्त किया गया। घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी तथा साधारण मिट्टी प्र.पी.-9 के माध्यम से जब्त की गई। उप निरीक्षक अल्बर्ट तिर्की (अ.सा.-12) द्वारा मौका नक्शा (प्र.पी.-6) तैयार किया गया। जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जहां से रिपोर्ट (प्र.पी.-27) प्राप्त हुई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अपीलार्थियों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रायगढ़ के न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण को सत्र न्यायालय, रायगढ़ को उपार्पित किया गया, जहां से यह प्रकरण चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायगढ़ के न्यायालय में अंतरण पर प्राप्त हुआ। उक्त न्यायालय ने विचारण कर अपीलार्थियों को ऊपर वर्णित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

3. अपीलार्थियों के अधिवक्ता श्री धीरेंद्र पांडेय ने तर्क प्रस्तुत किया कि चक्षुदर्शी साक्षी संजय सागर (अ.सा.-3) और शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। उनके कथन में कई त्रुटियां

और दोष हैं। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि मृतक की मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. टी.के. टोंडर (अ.सा.-10) भी यह राय नहीं दे सके कि मृतक की मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। अतः दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता। वैकल्पिक रूप से यह भी तर्क दिया गया कि सामान्य आशय का कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थियों और मृतक के बीच गाली-गलौज हुआ था। अतः संपूर्ण अभियोजन कथन को स्वीकार करने पर भी अपीलार्थीगण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय नहीं होंगे, बल्कि धारा 304 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय हो सकते हैं।

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत पैनल अधिवक्ता श्री एन.के. मेहता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण क्रमांक 133/2006 के अभिलेख का भी परिशीलन किया है। अपीलार्थियों की दोषसिद्धि मुख्यतः संजय सागर (अ.सा.-3), शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) और श्रीमती मालती बाई (अ.सा.-5) के साक्ष्य पर आधारित है। संजय सागर (अ.सा.-3) और शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) चक्षुदर्शी साक्षी हैं, जबकि श्रीमती मालती बाई (अ.सा.-5) न्यायालय के बाहर किए गए न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की साक्षी हैं। अपीलार्थियों ने उनके समक्ष न्यायालय के बाहर न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की थी।

6. संजय सागर (अ.सा.-3) और शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि घटना के दिन लगभग रात्रि 9:00–10:00 बजे वे मृतक बुधराम के साथ मोटरसाइकिल से तमनार से वापस आ रहे थे। जब वे रामभाठा दुर्गा मंदिर के पास पहुंचे, तब अपीलार्थी साइकिल से सामने की ओर से आए और अपनी साइकिल को मोटरसाइकिल के सामने लगाकर उनका रास्ता रोक दिया। अपीलार्थियों ने मृतक बुधराम को अश्लील भाषा में गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक ने अपीलार्थियों से पूछा कि वे उसे गाली क्यों दे रहे हैं। उस समय अपीलार्थी कमलेश के हाथ में एक बोतल थी। अपीलार्थी कमलेश ने बोतल से मृतक के सिर पर प्रहार किया। इसके बाद दूसरे

अपीलार्थी ने एक पत्थर उठाकर मृतक पर हमला किया। इससे मृतक नीचे गिर गया और उसके शरीर से खून निकलने लगा। उन्होंने आगे बताया कि संजय सागर (अ.सा.-3) मृतक के घर गया और घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी तथा बाद में पुनः घटनास्थल पर वापस आ गया।

7. श्रीमती मालती बाई (अ.सा.-5) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि संजय सागर (अ.सा.-3) उनके घर आया और उन्हें बताया कि अपीलार्थियों ने मृतक पर हमला किया है। इसके बाद वह घटनास्थल पर गईं। उस समय अपीलार्थी घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने अपीलार्थियों से पूछा कि उन्होंने मृतक को क्यों मारा, तब अपीलार्थियों ने उनसे कहा कि उन्होंने मृतक को मार दिया है और वहां से भाग गए। बालूराम बघेल (अ.सा.-4) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि दिनांक 20-10-2006 की रात्रि लगभग 11:00 बजे वह अपने ठेले (कियोस्क) पर था। तभी एक लड़का उसके पास आया और बताया कि उसके भाई (मृतक) को अपीलार्थियों ने बोतल और पत्थर से मार दिया है। इसके बाद वह घर आया, जहां उसकी मां ने उसे घटना के बारे में बताया। उसने आगे कहा कि संजय सागर (अ.सा.-3) और शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) ने भी उसे घटना की जानकारी दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. संजय सागर (अ.सा.-3), श्रीमती मालती बाई (अ.सा.-5) तथा शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि वे मृतक को ऑटो-रिक्शा से किरोड़ीमल शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ ले गए। संजय सागर (अ.सा.-3) ने कहा कि उसने देहाती नालिशी (प्र.पी.-5) दर्ज कराई। डॉ. टी.के. टोंडर (अ.सा.-10) ने अभिसाक्ष्य दिया कि वे उस समय किरोड़ीमल शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 20-10-2006 को लगभग रात्रि 10:35 बजे मृतक को चिकित्सालय में भर्ती किया गया। उन्होंने प्र.पी.-16 के माध्यम से पुलिस थाना को सूचना भेजी। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने मृतक का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्र.पी.-17) प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने पाया कि ठोड़ी पर 1½ इंच का मांसपेशी तक गहरा फटा हुआ घाव था तथा दोनों कानों और मुंह से रक्त निकल रहा था। डॉ. अनिल कुमार तिर्की (अ.सा.-9) ने अभिसाक्ष्य दिया कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर थी, इसलिए उसे मेडिकल कॉलेज, रायपुर रेफर किया गया। उन्होंने आगे बताया कि मृतक की मृत्यु प्रातः 3:30 बजे हो गई।

9. प्रधान आरक्षक अर्जुन प्रसाद चंद्रा (अ.सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 20-10-2006 को संजय सागर (अ.सा.-3) ने देहाती नालिशी (प्र.पी.-5) दर्ज कराई, जिसके बाद उन्होंने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-2) दर्ज की। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने घायल बुधराम (मृतक) को प्र.पी.-4 के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण के लिए शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ भेजा।

10. डॉ. टी.के. टोंडर (अ.सा.-10), जिन्होंने मृतक के शव का परीक्षण किया, मृतक की मृत्यु के स्वरूप के संबंध में निश्चित राय नहीं दे सके। किंतु संजय सागर (अ.सा.-3) तथा शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) के साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि अपीलार्थियों ने मृतक पर हमला किया, जिससे मृतक को चोटें आईं और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यदि यह माना जाए कि कोई दुर्घटना हुई थी और मृतक दुर्घटना के कारण गिर गया था, तो संजय सागर (अ.सा.-3) और शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) को भी कुछ चोटें आनी चाहिए थीं, किंतु उनके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। अतः मृतक की मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी यह स्वीकार्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. संजय सागर (अ.सा.-3) और शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) स्वतंत्र साक्षी हैं। उनके पास अपीलार्थियों को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं है। हमने संजय सागर (अ.सा.-3) और शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) के साक्ष्य का परिशीलन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वे रामभाठा स्थित दुर्गा मंदिर के पास पहुंचे, तब अपीलार्थी सामने की ओर से साइकिल पर आए और अपनी साइकिल को मोटरसाइकिल के सामने लगाकर उनका रास्ता रोक दिया। अपीलार्थियों ने मृतक बुधराम को अश्लील भाषा में गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक ने अपीलार्थियों से पूछा कि वे उसे गाली क्यों दे रहे हैं। उस समय अपीलार्थी कमलेश के हाथ में एक बोतल थी। अपीलार्थी कमलेश ने बोतल से मृतक के सिर पर प्रहार किया और दूसरे अपीलार्थी ने एक पत्थर उठाकर मृतक पर हमला किया।

12. घटना की तिथि और समय दिनांक 20-10-2006, लगभग 22:30 बजे था तथा देहाती नालिशी (प्र.पी.-5) दिनांक 21-10-2006 को दर्ज की गई। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-3) और देहाती नालिशी (प्र.पी.-5) विधिवत दर्ज की गई हैं। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-3) में अपीलार्थियों के नाम का उल्लेख

है। इसमें घटना का विवरण भी दिया गया है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-3) में यह उल्लेख है कि अपीलार्थी कमलेश चौहान के हाथ में बोतल थी और उसने बोतल से मृतक पर प्रहार किया तथा अपीलार्थी रवि चौहान ने पत्थर से हमला किया।

13. हमने संजय सागर (अ.सा.-3) और शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) के साक्ष्य का परिशीलन किया है। उनके साक्ष्य की पुष्टि श्रीमती मालती बाई (अ.सा.-5) के कथन, चिकित्सीय साक्ष्य तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-3) से होती है। अतः हमें यह नहीं प्रतीत होता कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में कोई त्रुटि या दुर्बलता है।

14. यह सर्वविदित है कि कई व्यक्तियों की सामान्य आशय को स्थापित करने तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के प्रावधानों को लागू करने के लिए निम्नलिखित दो मूलभूत तथ्यों का सिद्ध होना आवश्यक है— (i) अपराध करने का सामान्य आशय, तथा (ii) अपराध के संपादन में अभियुक्त की सहभागिता। भा.दं.सं. की धारा 34 को लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अभियुक्त ने स्वयं मृतक पर प्रहार किया हो। यह पर्याप्त है कि यह सिद्ध हो जाए कि सभी ने अपराध करने का सामान्य आशय साझा किया था और उस सामान्य आशय की पूर्ति के लिए प्रत्येक ने अपने-अपने सौंपे गए कृत्य को, चाहे वे समान हों या भिन्न, करके भूमिका निभाई। भा.दं.सं. की धारा 34 तब भी लागू होती है जब किसी विशेष अभियुक्त द्वारा स्वयं कोई चोट न पहुंचाई गई हो। धारा 34 को लागू करने के लिए अभियुक्त की ओर से किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य का होना भी आवश्यक नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. दोनों चक्षुदर्शी साक्षियों संजय सागर (अ.सा.-3) और शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) के साक्ष्य तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-3) के साक्ष्य के समुचित विवेचन से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि दोनों अपीलार्थियों ने मृतक पर हमला करने में भाग लिया था। अपीलार्थी कमलेश चौहान ने मृतक पर बोतल से प्रहार किया तथा रवि चौहान ने पत्थर से हमला किया, जिसके कारण मृतक को चोटें आईं और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 में निहित सिद्धांतों का प्रयोग पूर्णतः उचित था और यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियों ने मृतक की हत्या करने के लिए सामान्य आशय साझा किया था।

16. अब हम इस मामले का परीक्षण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 तथा धारा 304 के प्रावधानों के संदर्भ में करेंगे।

17. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ऐसे आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड का प्रावधान करती है, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता। यह उन मामलों में दण्ड के बीच अंतर स्पष्ट करती है, जहां हत्या करने का आशय मौजूद होता है और वह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के किसी अपवाद के अंतर्गत आने के कारण हत्या नहीं माना जाता, तथा उन मामलों में जहां अपराध आपराधिक मानव वध होता है, अर्थात जहां यह ज्ञान होता है कि कृत्य के परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है, किंतु मृत्यु कारित करने का आशय या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का आशय, जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, अनुपस्थित होता है। धारा 304 का प्रथम भाग तब लागू होता है जब आशय मौजूद हो, जबकि द्वितीय भाग तब लागू होता है जब केवल ज्ञान हो। महत्वपूर्ण यह है कि धारा 304 के किसी भी भाग के अंतर्गत अभियुक्त को दोषसिद्धि से पहले यह स्थापित होना आवश्यक है कि मृत्यु धारा 300 के पांच अपवादों में वर्णित किसी परिस्थिति में अभियुक्त द्वारा कारित की गई हो। इन अपवादों में ऐसे मामले शामिल हैं, जैसे—गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित होकर मृत्यु कारित करना, व्यक्ति या संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का सद्भावना से प्रयोग करते समय मृत्यु होना, तथा बिना पूर्वविचार के, आवेश में अचानक हुए विवाद के दौरान मृत्यु होना। किसी कार्य को करते समय उसके संभावित परिणामों का ज्ञान होना और किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना अर्थात आशय होना—दोनों में स्पष्ट अंतर है। धारा 304 के प्रथम भाग को लागू करने के लिए आशय का तत्व आवश्यक है, जबकि द्वितीय भाग को लागू करने के लिए ज्ञान का तत्व पर्याप्त होता है। आशय का अर्थ है किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना, जबकि ज्ञान का अर्थ है यह जागरूकता या समझ कि किसी कार्य को करने से कोई विशेष परिणाम घटित हो सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. **पंचैयाह एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, 1994 सप (2) एससीसी 235** के प्रकरण में मृतक के शरीर के विभिन्न भागों पर साइकिल की चेन और डंडे से छह चोटें पहुंचाई गई थीं। पहली चोट सिर के मध्य भाग पर 2 सेमी × 1 सेमी की हड्डी तक गहरी फटी हुई चोट थी। दूसरी चोट दाहिने हाथ के अग्र-

पार्श्व भाग पर काले रंग का नील था, जो दाहिने कंधे के जोड़ से फैलते हुए 23 सेमी × 9 सेमी का था। तीसरी चोट बाएं ऊपरी हाथ के अंदरूनी भाग में, कोहनी तक फैला हुआ 10 सेमी × 9 सेमी का काले रंग का नील था। चौथी चोट बाएं घुटने (पटेला) पर 3 सेमी × 2 सेमी की काले रंग की खरोंच थी। पांचवीं चोट भी चौथी चोट के ठीक बीच में एक और खरोंच थी। छठी और अंतिम चोट नाभि के स्तर पर पेट के बाएं भाग में 6 सेमी की खरोंच थी। चिकित्सक ने अपनी राय में कहा कि पहली चोट के नीचे रक्त का स्राव पाया गया। उन्होंने यह भी राय दी कि मृत्यु शॉक और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि मस्तिष्क और रक्त-वाहिकाओं को हुई क्षति बाहरी चोट क्रमांक 1 के कारण हुई थी। चोट क्रमांक 1, 4 और 5 साइकिल की चेन से प्रहार करने के कारण हो सकती थीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि चिकित्सीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि केवल एक ही गंभीर चोट सिर पर थी, जबकि अन्य चोटें केवल नील और खरोंच थीं। यदि वास्तव में अपीलार्थियों का उद्देश्य मृतक की हत्या करना होता, तो वे अधिक गंभीर चोटें पहुंचाते। न्यायालय ने पाया कि सिर पर लगी केवल एक चोट के कारण रक्तस्राव हुआ, जिससे मस्तिष्क को क्षति पहुंची और मृत्यु हो गई। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तों का मृतक की मृत्यु कारित करने का सामान्य आशय था। हालांकि, पहुंचाई गई चोटों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों को यह ज्ञात था कि उनके कृत्य से मृत्यु हो सकती है। अतः उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग-II सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय माना गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. वर्तमान मामले में संजय सागर (अ.सा.-3) और शंकरलाल देवांगन (अ.सा.-8) के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों और मृतक के बीच कुछ विवाद/झगड़ा हुआ था। अपीलार्थियों और मृतक के बीच पहले से कोई शत्रुता नहीं थी। अपीलार्थी रवि चौहान किसी हथियार से सज्जित नहीं था और कमलेश चौहान के पास केवल एक बोतल थी। मृतक के शव पर मैंडिबुलर (जबड़े) क्षेत्र में एक चोट पाई गई, जो घातक सिद्ध हुई और मृत्यु का कारण मैंडिबुलर के अस्थिभंग से उत्पन्न शॉक था।

20. अतः हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि अपीलार्थियों ने उक्त प्रहार मृतक की हत्या करने के आशय से किया था। तथापि, उनके इस कृत्य से यह ज्ञान अवश्य परिलक्षित होता है कि इससे

मृत्यु परिणामस्वरूप हो सकती है। ऐसी स्थिति में, अभियोजन के कथन को स्वीकार करने पर भी हम यह मानते हैं कि अपीलार्थियों ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं किया है, बल्कि उनका कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग-II सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय है।

21. परिणामस्वरूप, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग-II सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है तथा उन्हें 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है। यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी दिनांक 23-10-2006 से जेल में निरुद्ध हैं। अतः उनके द्वारा पहले से कारावास में बिताई गई अवधि को समायोजित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही/-
आर. एस. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .... Aniruddha Shrivastava, Advocate